# कथा क्रम

जनवरी–मार्च 2024
मूल्य – ₹ 40

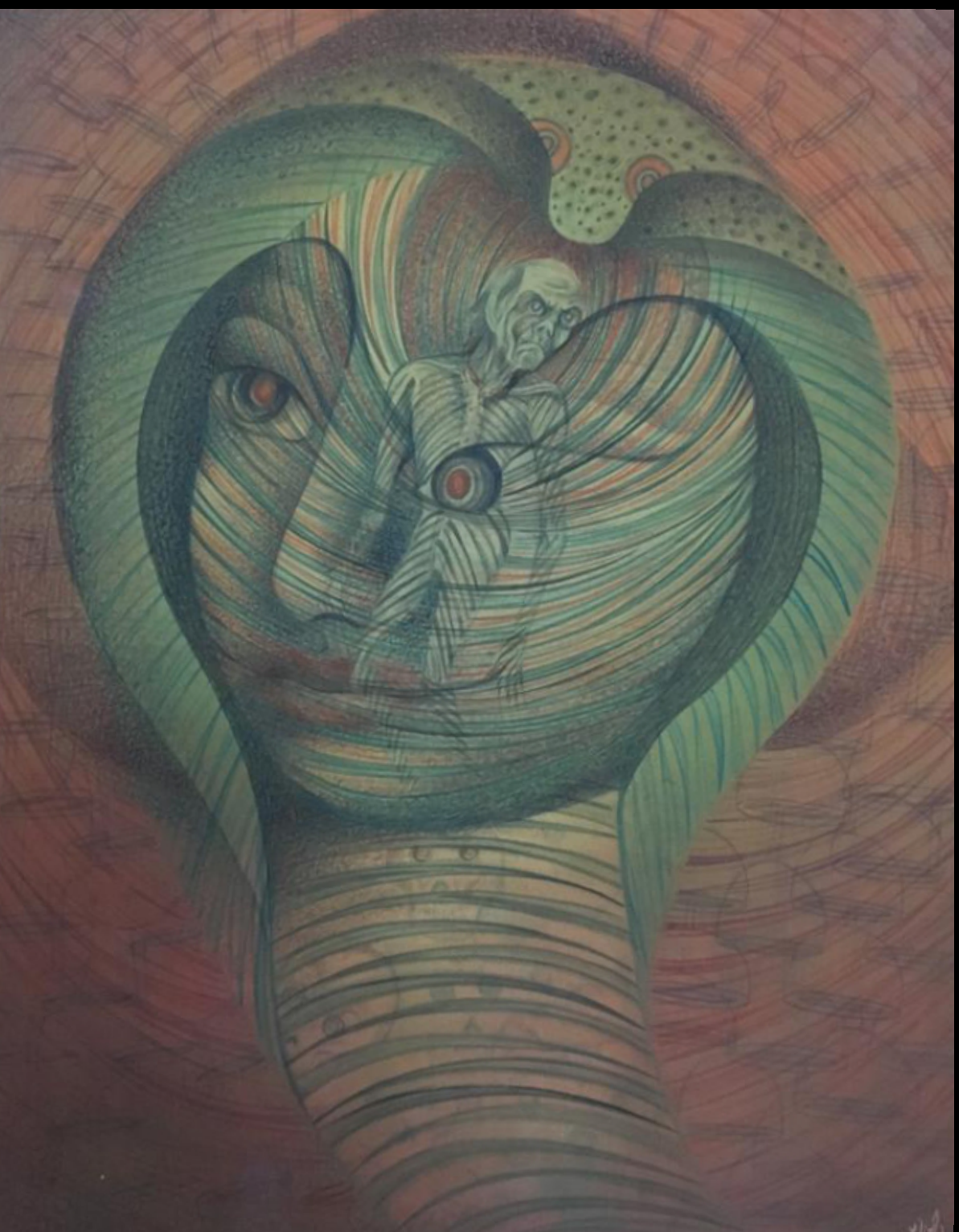

कथासाहित्य
कला
एवं
संस्कृति
की
त्रैमासिकी

कथा क्रम - 2023
हिन्दी कथा साहित्य पर केन्द्रित अखिल भारतीय आयोजन
लखनऊ- 05 नवम्बर 2023
आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान 2023
सम्मानित कथाकार-योगेंद्र आहूजा
संगोष्ठी- प्रतिरोध के स्वर और हिंदी कथा साहित्य


कथा क्रम -
हिन्दी कथा साहित्य पर केन्द्रित
लखनऊ- 05
आनंद सागर
2023

2023
अखिल भारतीय आयोजन
05 नवम्बर 2023

2023
भारतीय आयोजन
2023
सम्मान 2023
आहूजा

कथा क्रम - 2023
हिन्दी कथा साहित्य पर केन्द्रित अखिल भारतीय आयोजन
लखनऊ- 05 नवम्बर 2023
आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान 2023
सम्मानित कथाकार-योगेंद्र आहूजा
प्रतिरोध के स्वर और हिंदी कथा

ISSN-2231-2161

# कथा क्रम

कथासाहित्य, कला एवं संस्कृति की त्रैमासिकी

वर्ष : 26 अंक : 99

जनवरी–मार्च 2024

(केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा से सहयोग प्राप्त)

## कहानियां

17 **संतोष दीक्षित** : ऊंट और बकरी का पहला हवाई किस्सा
23 **अनिता रश्मि** : सुरभि
29 **डॉ. सन्दीप शर्मा** : नखलिस्तान
37 **अश्विनी कुमार दुबे** : बोल्ड लेडी राइटर
51 **राजेन्द्र सजल** : नजर
62 **राजीव प्रकाश साहिर** : अक्से ना आफरीदा (प्रतिबिंब जो न था)
66 **तर्पण** : दिनेश अग्रवाल
73 **असगर नदीम सईद** : एक और टोभा टेक सिंह
अनुवाद : नीलम शर्मा 'अंशु'

## लघुकथाएं

16 **हरिश्चन्द्र पाण्डेय** : अफीम
36 **प्रहलाद श्रीमाली** : रंगों की मुस्कान
61 **शेफालिका सिन्हा** : कूप मंडूक
72 **हरदान हर्ष** : फासला
89 **अरिमर्दन कुमार सिंह** : पहली तनख्वाह

## कथा–नेपथ्य

05 **मधुरेश** : प्रियंवद : कथेतर गद्य का ठाठ

## लेख

43 **डॉ. नियति कल्प** : ह्रासोन्मुख समाज की कथा 'पलटू बाबू रोड'
47 **विजय शर्मा** : एडिथ ग्रॉसमैन : लेटिन अमेरिकी साहित्य का इंग्लिश स्वर

## कविताएं

80 **ममता दीपक वेर्लेकर** : मैं लिखना चाहती हूं कविताएं
80 **अशोक कुमार** : ज़मीन, सबकुछ यूं ही नहीं गुज़र जाता, अलग–अलग
81 **सोनी पाण्डेय** : उगना, थाह, दुख, हरापन, प्रेम का रंग
82 **तुलसी क्षेत्री** : सक्रिय ज्वालामुखी, संतुलन
83 **अभिषेक नृप** : बहते आंसू की धारा में, धाराप्रवाह शब्दों की बाढ़

## कथा–शोध

84 **राकेश कुमार कुमावत** : कथाकार संजीव की औपन्यासिक दृष्टि : संदर्भ 'फांस'

## कला

90 **डॉ. ललित कुमार सिंह** : भारतीय ज्ञान परम्परा में कठपुतली कला और जनसरोकार

## समीक्षाएं

96 **रजनी गुप्त** : महाकवि प्रसाद के जीवन का औपन्यासिक आख्यान–कंथा (उपन्यास : श्याम बिहारी श्यामल)
97 **रामनाथ शिवेन्द्र** : अलगनी पर समय (उपन्यास : वीरेन्द्र सारंग)
99 **दिनेश अहिरवार** : कला का काला बाज़ारीकरण : 'कांच के घर' (उपन्यास : हंसादीप)
101 **शिवांगी** : मानवीय मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति 'मैंने तुम्हें माफ किया' (कहानी संग्रह : रमाकांत शर्मा)

## रपट : कथाक्रम–2023

103 **सरिता निर्झरा** : प्रतिरोध के स्वर और हिंदी कथा साहित्य

## वक्तव्य

105 **योगेन्द्र आहूजा** : हर शब्द एक 'जिम्मेदारी' है
2 **सम्पादकीय** : लोक कल्याण बनाम चुनावी रेवड़ियां
**आवरण** : **राजीव मिश्र**
**रेखाचित्र** : **राजेन्द्र परदेसी**

**संपादक**
**शैलेन्द्र सागर**
**संपादन परामर्श**
रजनी गुप्त
**सहयोग**
मीनू अवस्थी
**प्रबन्ध सहायक**
राम मूरत यादव
**संपादन संचालन** : अवैतनिक

**संपादकीय सम्पर्क :**
**डी–107, महानगर विस्तार, लखनऊ–226006**
**दूरभाष : 09415243310**
**e-mail : kathakrama@gmail.com**
**e-mail : kathakrama@rediffmail.com**

**इस अंक का मूल्य : 40 ₹**
**सदस्यता शुल्क : व्यक्तिगत त्रैवार्षिक–450 ₹, आजीवन 3000 ₹**
**संस्थाएं : वार्षिक–200 ₹, त्रैवार्षिक–550 ₹, आजीवन 3500 ₹**
***(SBI kathakramA/c10059002392 IFSC- SBIN0008189)***

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

**मुद्रक :** प्रकाश पैकेजर्स, प्लाट नं. 755/99 A, गोयला इनडस्ट्रियल एरिया, यू.पी.एस.आई.डी.सी.–देवा रोड, चिनहट, लखनऊ–226019

# लोक कल्याण बनाम चुनावी रेवड़ियां

संविधान के अनुच्छेद 38 में अंकित है-

राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

(2) राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लोगों के समूह के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।

हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) की परिकल्पना को साकार करने का बीड़ा उठाया था और संविधान में उपरोक्त प्राविधान रखा था। जिसे महात्मा गांधी 'राम राज्य' कहते थे, उसी का लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष नाम 'वेलफेयर स्टेट' है। भारत में यह परम्परा अत्यंत प्राचीन है। अशोक ने 'धर्म' को अपने राज्य की नीति के तौर पर स्वीकार किया था। धर्म से उसका अभिप्राय देवी देवता की पूजा-अर्चना, धार्मिक ग्रंथों का पारायण और उसका प्रचार प्रसार नहीं था। सम्राट अशोक का कहना था कि राज्य के समस्त नागरिक उसके 'पुत्र समान' हैं और राजा के रूप में नागरिकों का उसके ऊपर ऋण है।

स्वाभाविक है इस दिशा में सभी सरकारों, केंद्र और राज्य दोनों, के द्वारा अनेक कदम उठाए गए जिससे राष्ट्रपिता का स्वप्न मूर्त हो सके। असमानताएं समाप्त हों और हर व्यक्ति को राज्य द्वारा रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उसका पेट भरा रहे, सर के ऊपर छत हो और मौसम के प्रकोप से सुरक्षा के लिए बदन पर कपड़ा रहे।

संविधान में मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन है जो हर नागरिक को उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ देश की सीमाओं में निवास कर रहे हर व्यक्ति को प्राप्त हैं चाहे वह अन्य देश का नागरिक हो। जाहिर है कि राज्य की वैधानिक बाध्यता है कि इन अधिकारों का अनुपालन सुनिश्चित हो। यदि राज्य द्वारा उनका अतिक्रमण या उल्लंघन किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति उसके कार्यान्वयन/प्रवर्तन के लिए न्यायिक कार्रवाई कर सकता है। इनके साथ ही संविधान के अध्याय चार के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जिनका अनुपालन बाध्यकारी नहीं है पर वे कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अहम हिदायतें हैं। इसीलिए वे महत्वपूर्ण हैं और उनमें से कई लागू भी किए गए हैं।

आजादी के बाद से ही सभी सरकारों ने अनुच्छेद 38 को अपने शासन का प्रमुख अंग माना और इस दिशा में अनेक कार्य किए। सूची अत्यंत लंबी है पर उनमें से कुछ जैसे सस्ती दरों पर राशन, तमाम तरह के अनुदान, नि:शुल्क या सस्ते आवास, ग्रामीण क्षेत्रों में आय के लिए मनरेगा, प्राथमिक या माध्यमिक स्तर तक मुफ्त शिक्षा, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सैनीटेशन, नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह अनगिन क्षेत्र हैं जिनके क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं बनाई गई हैं। वेल्फेयर राज्य में ये जरूरी हैं। इसे लेकर किसी को भला क्या एतराज हो सकता है।

पर अब स्थिति दूसरी है। पांच साल तक राज्य करने वाले राजनीतिक दल भले ही किसी कल्याणकारी योजना को तरजीह न दें या महज अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किसी समुदाय, जाति विशेष को लाभ

पहुंचाने के लिए किसी स्कीम को लाएं पर चुनाव की आहट होने के साथ ही ऐसी कथित कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खुल जाता है। राजनीतिक दलों में होड़ लग जाती है कि वे ऐसी कौन सी स्कीम घोषित करें जिनसे उन्हें एक जाति, क्षेत्र, धर्म, समुदाय विशेष के वोट मिलने की संभावना बड़े। कुछ तो सामान्य होती हैं और कुछ राज्य विशेष को ध्यान में रखते हुए घोषित की जाती हैं। चुनाव होने के एकाध साल पहले से इसका अभियान शुरू हो जाता है। क्योंकि चुनाव की आचार संहिता निर्वाचन की औपचारिक अधिघोषणा, जो सामान्तय: मतदान के डेढ़, दो महीने पहले होती है, के बाद ही लागू होती है, इसलिए अनेक लोकलुभावन वादे पूरे जोर-शोर से किए जाते हैं हालांकि उनमें से कुछ कभी पूरे नहीं होते। 2014 के लोकसभा चुनाव में विदेशों में जमा काले धन से देश के हर नागरिक को पंद्रह लाख रुपए देने की हुंकार को भला कौन भूल सकता है।

इन बहकाऊ और बरगलाऊ वायदों का सबसे रोचक और अहम पक्ष यह है कि ये घोषणाएं पार्टी फंड अथवा निजी धन से नहीं की जातीं बल्कि सत्ता में आने पर राज्य कोष पर एकाधिकार की प्रत्याशा में की जाती हैं। इनके पूरा होने की संभावना है या नहीं अथवा इसका सरकारी खजाने और देश/प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर क्या दुष्प्रभाव होगा, से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बड़बोली घोषणाओं को करते हुए हमारे नेतागण ये भूल जाते हैं कि राज्य कोष देश के नागरिकों का धन है जो उनसे विभिन्न करों अथवा शुल्क के रूप में वसूला जाता है। इस नाते उसके व्यय के लिए सरकार और सत्ताधारी दल देश के नागरिकों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह हैं। यह सरकारी धन किसी समुदाय, जाति अथवा धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। न ही उससे ऐसी योजनाएं संचालित की जा सकती हैं जो वृहत तौर पर लोकहित में न होकर महज किसी क्षेत्र या समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए की गई हों।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसे लोकलुभावन वादे किए जाते हैं। लगभग सभी देशों में चुनाव से पूर्व मतदाताओं को रिझाने के लिए ऐसी घोषणाएं किए जाने की जानकारी मिलती है चाहे अमरीका हो या ब्रिटेन या आस्ट्रेलिया और उनमें से ज्यादातर कभी पूरे नहीं किए जाते।

चुनाव के अवसर पर की जाने वाली घोषणाओं को अब 'चुनावी रेवड़ियों' के नाम से जाना जाता है। मैं नहीं जानता कि इनके लिए 'रेवड़ी' शब्द का चलन क्यों और कब से किया गया। रेवड़ी के स्थान पर चना या मूंगफली क्यों नहीं कहा गया जबकि ये दोनों रेवड़ी की तुलना में सस्ती होती हैं। बहरहाल इनमें से कुछ चुनावी घोषणाओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

1- हर  घर के लिए डेढ़, दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त।

2- हर घर की एक महिला प्रमुख को दो हजार रुपए मासिक का अनुदान।

3- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर व्यक्ति को नि:शुल्क गेहूं/चावल। केंद्र सरकार का दावा है कि आज देश के लगभग अस्सी करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है।

4- उज्जवला योजना और 450 रु0 में गैस सिलिंडर

5- किसानों को बारह हजार रुपए तक की पीएम-सम्मान निधि।

6- कर्जमाफी

7- विधार्थियों में टेबलेट या मोबाइल का वितरण।

8- लड़कियों को साइकिल और उनके विवाह पर एक निश्चित अनुदान।

9- गरीबों को पक्के मकान।

यह सूची खासी लंबी हो सकती है जिसे यहां देना जरूरी नहीं है। पर यह विचारणीय अवश्य है कि क्या ऐसे चुनावी वायदों को प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं है जो चुनाव के अवसर पर वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए किए जाते हैं और जिनका राजकीय कोष पर खराब प्रभाव पड़ता है। देश में घाटे का बजट बनता है क्योंकि आय से कहीं अधिक व्यय होता है। धन की सीमाएं हैं। पूर्व प्रधान मंत्री श्री मनमोहन  सिंह ने एक बार कहा था कि रुपए पेड़ पर नहीं उगते। इसलिए यदि ऐसी किसी घोषणा पर धन खर्च होता है तो किसी न किसी जरूरी मद में कटौती होना लाजमी है। आवास, चिकित्सा, शिक्षा, भोजन हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें हैं  और उन्हें पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए उससे सम्बंधित योजना का स्वागत किया जाना चाहिए पर उनमें से कितने वास्तव में क्रियान्वित होते हैं। फिर हर परिवार को मुफ्त बिजली देना अथवा किसी बहाने धन देना कहां तक जायज है।

मुझे स्मरण नहीं है कि आज से तीस, चालीस साल पहले चुनावी रेवड़ियों का ऐसा चलन सुनने में आता था। हां, संविधान में दिए नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन किया जाना चाहिए और इन घोषणाओं को उसी के मापदंड पर मापा जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आखिर सरकारी धन की ऐसी मनमानी बंदरबाट कहां आकर थमेगी।

यहां चुनाव आयोग की भूमिका पर भी नजर डालना जरूरी है। महज नोटिफीकेशन के बाद इन लोक लुभावन वादों का संज्ञान लेने के नियम पर पुनर्विचार जरूरी है। जब हम 'चुनावी साल' कहकर उस अवधि को रेखांकित करते हैं जिसमें मनदान

होना है तो उस साल में चुनाव आयोग द्वारा सरकार के कामकाज पर कुछ निगरानी रखा जाना गैरवाजिब नहीं होगा। ऐसी घोषणाएं जो संविधान में प्रदत्त नीति निर्देशित तत्वों के दायरे में नहीं आतीं, उन पर नियंत्रण करने की जरूरत है। इसलिए भी क्योंकि अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर जारी की गई ऐसी मनभावन योजनाएं सार्वजनिक हित में न होकर सिर्फ वोटरों को दिगभ्रमित करने के लिए बनाई जाती हैं। ये भेदभावपूर्ण भी होती हैं और न ही इनका कोई दूरगामी प्रभाव होता है। कभी इनसे विद्वेष बढ़ने की संभावना रहती है जिससे सामाजिक समरसता, सद्भाव और सामंजस्य को क्षति पहुंचती है।

इस पर नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर जनता का धन खर्च होता है जो उनके द्वारा पूरी मेहनत मशक्कत से कमाया जाता है। ऐसे में सरकार और सियासी दलों द्वारा उस पैसे के दुरुपयोग रोका जाना एक संवैधानिक जरूरत है। सत्तादल हो या विपक्षी, ऐसी स्वेच्छाचारी घोषणाओं पर लगाम कसने की जरूरत है।

इस साल का साहित्य अकादमी सम्मान अत्यंत सम्मानित, सक्रिय और शिष्ट कथाकार संजीव को दिए जाने की घोषणा से मैं और मुझ जैसे अनेक लेखक, पाठक अंदर तक लहलहा उठे। यह ओवरडयू था। 1997 में पहला 'आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान' संजीव को ही दिया गया था। शायद यह उनके लेखकीय जीवन का भी पहला सम्मान था। पिछले लगभग पांच दशकों से वह लेखन में सक्रिय हैं। पचहत्तर साल की उम्र में उनकी रचनात्मकता हतप्रभ करती है। लगातार शोध करके वह सामयिक विषयों पर रचनाएं दे रहे हैं। किसी दंदफंद, दांवपेंच, गुटबाजी, पक्षधरिता और ब्यानबाजी से दूर रहकर संजीव लेखन में लिप्त हैं। न ही सोशल मीडिया की बैसाखी के सहारे वह अपनी रचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे अप्रतिम कथाकार को इस सम्मान के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। यह भी दुआ है कि वह स्वस्थ रहें क्योंकि उनका स्वास्थ्य कभी चिंता की वजह बनता है। हिंदी कथा साहित्य की अभिवृद्धि और समृद्धि के लिए उनकी अच्छी सेहत बेहद जरूरी है।

अभी हाल में लखनऊ की सुपरिचित कथाकार पूनम तिवारी का एक सड़क दुघर्टना में असमय निधन हो गया जो अत्यंत दुखद व स्तब्धकारी है। पूनम जी साहित्यिक गतिविधियों में खूब रुचि लेती थीं और कार्यक्रमों में अक्सर मौजूद रहती थीं। वह अत्यंत सौम्य और सरल प्रकृति की व्यक्ति थीं। स्वाभाविक है उनका जाना परिवार के लिए अपूर्णनीय क्षति है। हम सब भी उनके निधन से अत्यंत दुखी हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

□□

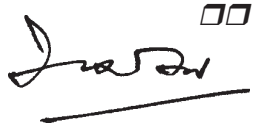

## सदस्यता हेतु

**कथाक्रम की सदस्यता हेतु आप भारतीय स्टेट बैंक, महानगर शाखा, लखनऊ के कथाक्रम (KATHAKRAM) खाता संख्या-10059002392 में धनराशि जमा कर सकते हैं। इसकी सूचना अपने पूरे पते व फोन नम्बर के साथ कुरियर या पंजीकृत डाक से कथाक्रम कार्यालय को भेज दें। बैक शाखा का IFSC/NEFT/RTGS का Code No.- SBIN 0008189। चैक अथवा ड्राफ्ट से भुगतान कथाक्रम के नाम से करें।**

**पता :-**

**'स्वप्निका', डी-107, महानगर विस्तार, लखनऊ- 226006**

**मो. 9415243310**